रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 30, 1973/भाद्रपद 8, 1895
No. 197] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 1973/BHADRA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

RESOLUTION

New Delhi, the 30th August 1973

SUBJECT.—*Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal.*

No. 1(4)/72-COR.—The Government of India have decided that Shri M. K. Nair, Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) would be associated in an advisory capacity in place of Shri A. K. Sen, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure), with immediate effect, in the Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal, set up in terms of Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Resolution No. 5(21)/66-R.E., dated the 6th January, 1967 as amended from time to time.

ORDER

1. All Members of the Committee.
2. All Ministries/Departments of the Government of India.
3. The Planning Commission, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat and the Private and Military Secretaries to the President.
4. The Chief Secretaries to the State Governments/Union Territories.

Ordered also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of Ind for general information.

S. VOHRA, Se

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 13 अगस्त 1973

विषय : पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति

संख्या 1(4)/72-स०स०.—भारत सरकार, श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के समय समय पर संशोधित संकल्प संख्या 5(21)/66-आर० ई० दिनांक 6 जनवरी, 1967 की शर्तों के अनुसार पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य के लिए स्थापित समीक्षा समिति में श्री ए० के० सेन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के स्थान पर, तत्काल प्रभाव से, श्री एम० के० नायर, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को भारत सरकार ने सलाहकार की हैसियत से सहयोजित करने का निश्चय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां निम्नलिखित को भेज दी जायें :—

1. समिति के सभी सदस्य
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
3. योजना आयोग, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय और राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव।
4. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाय।

सहदेव बोहरा, सचिव।

D BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW
ND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973